

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक - ई-18/एम/वॉल्यूम-11-17/2019/ दिनांक :


आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 20(1) वित्त/गुप-2/92 दिनांक 25.01.92 एफ.16(2) वित्त/नियम/98 दिनांक 17.02.98 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री वनेश्वर जोशी, कनिष्ठ सहायक (से.नि.) जिला क्षय निवारण केन्द्र, बांसवाडा जिनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 28.10.1978(च.श्रे.क) एवं 09.06.1989(क.स.) है, को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है -

पूर्ण सेवावधि	चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृत
09 वर्ष	09.06.1998	4000-6000
27 वर्ष	28.10.2005	5000-8000

नोट. - कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि 28.10.1978 से 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 28.10.2005 को देय होती है परन्तु एसीपी दिनांक 01.09.2006 से लागू होने के कारण दिनांक 01.09.2016 से देय है।

उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।


  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक 13/03/19

क्रमांक -- ई-18/एम/वॉल्यूम-11-17/2019/598.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, बांसवाडा को उनके पत्र क्रमांक 209 दिनांक 01.02.2019 के क्रम में लेख है कि दिनांक 28.10.1996 को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान सही नहीं है। अतः नियमानुसार निरस्त कर वसूली की कार्यवाही करें।
3. श्री वनेश्वर जोशी, कनिष्ठ सहायक (से.नि.) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर